

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6110 द्वारा माननीय विधायक श्री जालम सिंह पटेल।

परिशिष्ट-

विगत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र गाडरवारा

की गई कार्यवाही

क. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं दिनांक	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	माननीय विधायक, श्रीमति सुनिता पटेल दिनांक 13.01.2020	ग्राम खुरसुरु में मिट्टी खनिज का अवैध उत्खनन होने के संबंध है	जांच कार्यवाही के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अपने कच्चे मकानों एवं आंगन में छपाई हेतु शासकीय भूमि से मिट्टी निकालकर उपयोग किया जाना पाया है। शिकायतकर्ता की निजी भूमि में उत्खनन नहीं होना पाया
2	माननीय विधायक, श्रीमति सुनिता पटेल दिनांक 19.12.2018	गाडरवारा विधानसभा के अंतर्गत अवैध रेत खनन व अवैध शराव विक्रय पर पूर्ण रोक लगाने यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान गाडरवारा क्षेत्र अंतर्गत 02 अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रु. 3,69,350=00 जमा कराई गई। 01 प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि रु. 1,34,51,580=00 अधिशेषित की गई। उक्त राशि वसूल करने हेतु आर.आर.सी. जारी की गई।
3	माननीय विधायक, श्री सजय शर्मा दिनांक 06.09.2020	अवैध रेत उत्खनन को रोकने यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान गाडरवारा क्षेत्र की नदियों से मशीनों द्वारा अवैध उत्खनन की जांच कार्यवाही के दौरान नदियों में अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। जिले के ठेकेदार द्वारा भण्डारण स्थल से रेत खनिज का परिवहन होना पाया।
4	समस्त ग्रामवासी ग्राम तुमडा संसारखेड़ा दिनांक 20.11.2019	अवैध उत्खनन होने यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान जे.सी.बी. / पीकलेन मशीन एवं डम्पर जपट किये जाकर प्रकरण दर्ज किये गये। अवैध उत्खनन के प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि रु. 6,56,250=00 जमा कराई गई।
5	श्री भियांत दुबे दिनांक 03.06.2020	ग्राम चामचौन में मिट्टी उत्खनन होना यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान ग्राम चामचौन में मिट्टी उत्खनन पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज अर्थदण्ड की राशि रु. 2,25,000=00 जमा कराई गई।
6	श्री अरविंद राजपूत दिनांक 27.08.2020	ग्राम मेहरागांव में रेत खनिज का अवैध उत्खनन होने यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान ग्राम मेहरागांव में किसी भी व्यक्ति द्वारा रेत खनिज का अवैध उत्खनन करते नहीं पाया गया और न ही मौके पर कोई मशीन पाई गई।
विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव			
7	माननीय विधायक, श्री जालम सिंह पटेल दिनांक 20.11.2019 एवं 25.11.2019	गंगई घाट, सिद्धघाट एवं धरमपुरी, समनापुर, रमपुरा नर्मदा नदी में पानी के अन्दर से बोट मशीन एवं जे.सी.बी. से अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्यवाही यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान ग्राम गंगई घाट, सिद्धघाट, धरमपुरी, समनापुर, रमपुरा नर्मदा नदी में पानी के अंदर से बोट मशीन एवं जे.सी.बी. मशीन से अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया।
8	माननीय विधायक, श्री जालम सिंह पटेल दिनांक 28.02.2019	गंगई घाट (गोटेगांव) नर्मदा नदी में पानी के अन्दर से बोट मशीन एवं जे.सी.बी. से अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्यवाही यावत।	जांच कार्यवाही के दौरान ग्राम गंगई में 01 अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध उत्खनन के प्रकरण में अधिशेषित अर्थदण्ड की राशि रु. 3,42,300=00 जमा कराई गई।

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
खनिज साधन विभाग



9	टुंडे इनर्जी(एम.पी.) प्रा.लि. दिनांक 20.11.2019	टुंडे इनर्जी(एम.पी.) प्रा.लि. की भूमि पर अवैध उत्खनन होने बाबत।	जांच कार्यवाही के दौरान ग्राम सिलारी, झांसीघाट, खमरिया, दलतपुर, पुरा एवं बूढ़ी मवई में फिट्टी/रेत का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया और न ही अवैध परिवहन होना पाया गया।
विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर / गोटेगांव			
10	माननीय सांसद(राज्यसभा) श्री कैलाश सोनी जी दिनांक 28.07.2020	नर्मदा नदी के अंदर वीथवीथ से रेत खनन किये जाने एवं रातीकर, गोटेगांव में मुरम डालकर मार्ग बनाकर रेत उत्खनन करने बाबत।	जांच कार्यवाही के दौरान नर्मदा नदी से अवैध परिवहन किये जाने पर 04 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं ग्राम सगौनघाट में शासकीय भूमि पर अवैध भण्डारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
11	माननीय विधायक, श्री जालम सिंह पटैल दिनांक 03.10.2019	कंप्रेस कार्याकर्ताओं द्वारा रेत के अवैध उत्खनन में लगे वाहनों में प्रतिबंध लगाने बाबत।	जांच कार्यवाही के दौरान देवाकछार, सांकल मार्ग ट्रैक्टर ट्राली द्वारा रेत खनिज के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर अर्धादण्ड की राशि रु. 9,12,450=00 जमा कराई गई।
12	माननीय विधायक, श्री जालम सिंह पटैल दिनांक 13.05.2019	गोटेगांव में रेत की वैध खदानों को बंद करवाकर अवैध खदानों को चालू करवाने के संबंध में।	तहसील गोटेगांव में पूर्व से स्वीकृत रेत की खदानें कमशः झांसीघाट, वेलखेड़ी, गगई, सांकल, जमुनिया, बुधगांव म.प्र. राज्य खनिज निगम, जबलपुर को स्वीकृत थी। कार्यालयीन अभिलेख अनुसार तहसील गोटेगांव अंतर्गत रेत खदान ग्राम झांसीघाट, वेलखेड़ी, गगई, सांकल में पानी भरा होने एवं रेत न होने कारण एवं 01 खदान के पास रेतवे पुल तथा 01 खदान नौरादेही अभ्यारण्य के पास होने से जिला स्तरीय "डिया" समिति द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया था। ग्राम जमुनिया एवं बुधगांव रेत खदान को म.प्र. राज्य खनिज निगम जबलपुर द्वारा नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया। गोटेगांव तहसील में अवैध खदानें चालू नहीं कराई गई है।
13	श्री अभय वानगात्री, प्रदेशाध्यक्ष जनहित कल्याण सहयोग समिति दिनांक 06.01.2021	नर्मदा नदी धरमपुरी, रेवानगर में अवैध उत्खनन होने के संबंध में	खानि निरीक्षक से जांच कराई जा रही है।

अनुपमा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश शासन,  
खनिज साधन विभाग

प्रभास अधिकारी, 08/12/2019  
खनिज शाखा नरसिंहपुर